

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

प्रेम देवी पत्नी कालुराम मीणा निवासी छाबड़िया

बनाम

प्रहलाद पिता गिरधारी मीणा निवासी छाबड़िया वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 204 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
01-05-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम छाबड़िया प.ह. रावतखेड़ा आराजी सं. 171/1, 277/2 कुल किता 02 रकबा 0.2914 हेक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है ग्राम छाबड़िया प.ह. रावतखेड़ा आराजी सं. 171/1, 277/2 कुल किता 02 रकबा 0.2914 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें </p> <p>आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया </p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/ 204 /2024

दिनांक- 01/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं. 204 / 2024 अनवान प्रेम देवी पत्नी कालुराम मीणा निवासी छाबड़िया बन्नाम प्रह्लाद पिता गिरधारी मीणा निवासी छाबड़िया, बनवारी पिता हरचंदा मीणा निवासी छाबड़िया, सोजी पिता दयाराम मीणा निवासी छाबड़िया, प्रभु पिता नन्दा मीणा निवासी छाबड़िया, रामलाल पिता खाना मीणा निवासी छाबड़िया, अशोक पिता हजारी मीणा निवासी छाबड़िया, रामप्रसाद पिता हजारी मीणा निवासी छाबड़िया, रणजीत पिता दयाराम मीणा निवासी छाबड़िया तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगद्दी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम छाबड़िया प.ह. रावतखेड़ा आराजी सं. 171/1, 277/2 कुल कित्ता 02 रकबा 0.2914 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगद्दी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा